न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 64 / 2024	2024 / 87	30.10.2024	24.04.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

–प्रार्थी

बनाम

01. अयूम खान पुत्र शफी मोहम्मद निवासी दिल्ली रोड मूंगस्का, अलवर जिला अलवर (राजस्थान)।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 04 घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

–विभागीय प्रतिनिधि

1. प्रवर्तन अधिकारी

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 04 गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 25.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार में विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु अयूम खान पुत्र शफी मोहम्मद, निवासी दिल्ली रोड मूंगरका, अलवर की अयूम खान (बुराक रेस्टोरेंट), दिल्ली रोड, मूंगस्का, अलवर स्थित दुकान पर पहुंचे।

मौके पर अयूम खान पुत्र शफी मोहम्मद, निवासी दिल्ली रोड मूंगस्का, अलवर उपस्थित मिले। अयूम खान पुत्र शफी मोहम्मद की दुकान पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। अयूम खान पुत्र शफी मोहम्मद द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अयूम खान के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया।

मौके पर उक्त कब्जेराज 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को मैं० सुमन गैस सर्विस, अलवर के प्रतिनिधि श्री महावीर पुत्र श्री बाबूलाल को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।।

अप्रार्थी बावजूद तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर के अनुसार मौके पर अयूम खान पुत्र शफी मोहम्मद की दुकान पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले, जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। दौराने वक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

जांच अयूम खान पुत्र शफी मोहम्मद द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी अयूम खान के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के आद दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 04 गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 04 गैस सिलेण्डर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)